बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिए बनाई गई ग्राम-पंचायत की उप समिति के लिए कुछ जरुरी जानकारी

देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों और महिलाओं की तरक्की बहुत ही जरुरी है। हरियाणा में बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाये जा रहे है। इन्हें लागू करने में महिलाओं की पूरी भागीदारी हो, इस उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत की एक उप समिति बनाई गई है जिसमें मुख्यतः गांव की महिलायें ही सदस्य हैं। कमेटी के सदस्य निम्न प्रकार से है:-

महिला सरपंच, सभी महिला पंच, महिला स्कूल अध्यापिका, मल्टी परपज हैल्थ वर्कर, महिला मण्डल की प्रधान, स्वंय सहायता समूह की लीडर, आशा, युद्ध पीड़ित विधवा, तीन शिक्षित किशोरियां, गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ता, गांव का चौकीदार तथा सभी आंगनवाडी वर्कर।

इस कमेटी को बहुत से कार्य, अधिकार और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं ताकि वह गांव के बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की निगरानी कर सकें और उन्हें सुचारु रुप से चलाने में मदद कर सके। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में नीचे दी गई जानकारी सहायक होगी:-

1. यह कमेटी ग्राम पंचायत को सौंपे गये सभी महिला एवं बाल विकास सम्बंधित कार्यो को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रुप में करेगी।
2. कमेटी की गतिविधियों का सारा रिकार्ड / लेखा जोखा इत्यादि ग्राम सभा की मिटिंगों में प्रस्तुत करना जरुरी होगा।
3. कमेटी नजदीकी बैंक में अपना खाता खुलवायेगी। कमेटी के द्वारा अधिकृत दो महिला पंच तथा एक आंगनवाड़ी वर्कर बैंक खाते से पैसा निकाल सकेगी, हर खर्च का पूरा लेखा-जोखा कमेटी की हर महीने में होने वाली मीटिंग में पेश तथा पास किया जायेगा।
4. विभाग द्वारा कमेटी के बैंक खाते में आंगनवाडी वर्कर तथा हैल्पर के मानदेय का भुगतान करने के लिए हर महीने राशि जमा कराई जायेगी। मानदेय का भुगतान कमेटी द्वारा विभाग की हिदायतों के मुताबिक किया जायेगा।
5. आंगनवाडी के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं व किशोरियों को दिये जाने वाले पौषाहार की 3 महीने की अग्रिम राशि भी कमेटी के खाते में जमा होगी। कमेटी स्वयं सहायता समूहों, महिला मण्डलों या बच्चों की माताओं के समूहों द्वारा खाने की वस्तुएं तैयार करवायेगी। कमेटी बच्चों एवं मांओं की पसंद तथा सुझाव का विशेष ध्यान रखेगी और गांव में आसानी से मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक खाद्य पदार्थो के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इस बारे "सस्ते एवं पौष्टिक व्यंजन" नाम से एक पुस्तिका कमेटी के मार्गदशन के लिए विभाग द्वारा हर आंगनवाड़ी वर्कर को दी गई है। कमेटी आहार बारे यह सुनिचित करेगी कि बच्चों को उनकी मांओं की निगरानी में ही आहार बांटा जाये। माओं के विचार और सुझाव "मां की राय" नाम से शुरु किये रजिस्टर में दर्ज करवायेगी।

6. कमेटी द्वारा गांव के 6 वर्ष तक के हर बच्चे के स्वास्थ्य एवं पौषण के बारे ब्यौरा रखा जायेगा जिसके लिए विभाग द्वारा रजिस्टर छपवाकर कमेटी को दिये गये हैं। इस ब्यौरे से कमेटी को गांव के हर बच्चे के स्वास्थ्य, पौषण, टीकाकरण, गंभीर बीमारी, पढ़ाई के बारे जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ स्थिति में सुधार के लिए जरुरी कदम उठाये जाने बारे भी मदद मिलेगी।

7. अपने गांव में भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं पर घरेलू अत्याचार, शोषण जैसी सामाजिक बुराईयां तथा इसके निवारण के लिए कमेटी द्वारा उठाये गये कदमों के बारे भी मिटिंग में चर्चा होगी।

8. कमेटी हर महीने निश्चित तिथि व स्थान पर मीटिंग करेगी। प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही विभाग द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में नियमित रुप से लिखी जायेगी।

9. महिला एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे जन समुदाय और लाभार्थियों के विचार जानना, कमेटी का एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि प्रोग्रामों में लोगों की आशाओं के अनुरुप निरंतर सुधार लाया जा सके।

10. कमेटी विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे लाडली, किशोरी शक्ति योजना, सर्वोत्तम मांओ को पुरस्कार, पढ़ाई में अव्वल आने वाली लड़कियों को पुरस्कार आदि में सकिय भूमिका निभायेगी तथा योग्य उम्मीदवारों के नाम विभाग को समय पर भेजगी।

11. कमेटी आंगनवाड़ी में चल रही सभी गतिविधयों का हर मासिक मीटिंग में अवलोकन करेगी तथा इसमें सुधार के लिये जरुरी कदम उठायेगी।

12. कमेटी भविष्य में लगाये जाने वाले आंगनवाड़ी हैल्पर/वर्कर की नियुक्ति की सिफारिश विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुरुप करेगी।

13. कमेटी के कार्यों को सुचारु रुप से निभाने हेतु सरकार द्वारा हर कमेटी को कम से कम 5000 रुपये सालाना दिया जायेगा ताकि वह मीटिंग के लिए छुट-पुट तथा समाजिक बुराईयों को रोकने बारे प्रचार आदि पर खर्चा कर सके।

कमेटी आंगनवाड़ियों की सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ गांव में ज्यादा से ज्यादा बच्चों और महिलाओं को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगी। आंगनवाड़ी वर्करों, सुपरवाईजर इत्यादि के माध्यम से कमेटी को विभाग से निरन्तर मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

आशा है कि कमेटी अपने दायित्व और कार्य को जिम्मेवारी से निभायेगी और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और विशेषकर महिलाओं के सहयोग और सुझाव से निंरतर प्रोग्रामों के कियान्वयन को कारगर बनायेगी।

सम्पर्क सूत्रः-

ब्लाक स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
बाल विकास परियोजना अधिकारी	कार्यक्रम अधिकारी	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।